उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट

14–अशोक मार्ग शक्ति भवन (वि0), लखनऊ

Email id: cpftrust.2004@gmail.com Website- www.uppst.org

पत्र सं0: 315 /47/ सी0पी0एफ0 ट्रस्ट/नि0नि0/2020 दिनांक: 04/03/2021

परिपत्र संख्याः सी0पी0एफ0/05/2021

अंशदायी भविष्य निधि योजना से आवरित कार्मिकों को देय अग्रिम/अंतिम भुगतान के सापेक्ष प्रेषित माँगपत्रों में प्रायः निम्न त्रुटियाँ पायी जाती है :–

1. अग्रिम स्वीकृति के कार्यालय ज्ञाप/अंतिम भुगतान हेतु निर्गत प्राधिकार पत्र में अंकित कार्मिक के नाम एवं धन माँगपत्र में अंकित नाम में समानता नहीं होती है।
2. माँगपत्र/अग्रिम स्वीकृति कार्यालय ज्ञाप/अंतिम भुगतान हेतु निर्गत प्राधिकार पत्र में कार्मिक का सी0पी0एफ0 खाता सं0 गलत होता है।
3. अग्रिम स्वीकृति हेतु निर्गत कार्यालय ज्ञाप/अंतिम भुगतान हेतु निर्गत प्राधिकार पत्र उ0प्र0पा0का0लि0 अंशदायी भविष्य निधि नियमावली, 2004 में निहित प्राविधानों के अनुरूप नही होते हैं।
4. इकाई के बैंक व्यय खाते का सही विवरण माँगपत्र में अंकित नही होता है। बैंक खाते के निरस्त चेक की छायाप्रति संलग्न नहीं होती है।
5. जिन कार्मिकों के बैंक खाते में धनराशि का भुगतान सीधे ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है, उनके बैंक विवरण ई0आर0पी0 डाटा से भिन्न होते हैं।
6. संज्ञान में आया है कि एक अग्रिम स्वीकृति कार्यालय ज्ञाप के सापेक्ष दो बार धन माँगपत्र ट्रस्ट कार्यालय को प्रेषित किये गये है, जिससे एक ही कार्मिक को दो बार भुगतान होने की सम्भावना होती है।
7. प्रायः देखा जाता है कि परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय (वितरण) द्वारा खण्डों से माँगपत्र प्राप्त कर सीधे ट्रस्ट कार्यालय को प्रेषित कर दिये जाते हैं, जबकि विकेन्द्रीकरण के पश्चात् अग्रिम/अंतिम भुगतान हेतु माँगपत्र समेकित रूप में डिस्कॉम स्तर से प्रेषित किया जाना आदेशित है।

उक्त के दृष्टिगत् माँगपत्र प्रेषित करने वाले कार्मिकों को एतदद्वारा निर्देशित किया जाता है कि माँगपत्र प्रेषित करते समय उपरोक्त त्रुटियों को अपने स्तर से जाँच ले, जिससे कार्मिकों को सी0पी0एफ0 अग्रिम/अन्तिम भुगतान प्रकरणों का ससमय निस्तारण किया जा सके एवं सही बैंक खाते में धनराशि अंतरण सुनिश्चित किया जा सके।

यदि किसी धन माँगपत्र में उक्त कमियाँ पायी गयी एवं गलत सूचना प्राप्त होने के आधार पर ट्रस्ट स्तर से धन निर्गमन हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में माँग प्रेषित करने वाले सम्बन्धित कार्मिक/अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जायेगी।

(अविनाश चन्द्र पाण्डेय)
सचिव (ट्रस्ट)

01/03/2021

पत्र सं0: 315 /47/ सी0पी0एफ0 ट्रस्ट/नि0नि0/2020/तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक (वित्त)/निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (वित्त)/निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (वित्त)/निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन), मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0/केस्को, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/कानपुर।
4. अधिशासी निदेशक (वित्त), उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा सम्प्रेक्षा एवं प्रशासन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा), दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा।

7. महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0/केस्को, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/कानपुर।
8. उपमहाप्रबन्धक (लेखा), परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, (सा0प्र0), महानगर, लखनऊ।
9. उपमहाप्रबन्धक (लेखा), परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, (पारे0 मध्य/पश्चिम/उ0 पूर्व/द0 पूर्व/द0 पश्चिम, द0 मध्य), लखनऊ/मेरठ/गोरखपुर/प्रयागराज/आगरा/झाँसी, उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0।
10. उपसचिव, अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट, शक्ति भवन (वि0), लखनऊ।
11. लेखाधिकारी, (मुख्यालय भुगतान इकाई/केन्द्रीय भुगतान प्रकोष्ठ), शक्ति भवन (वि0), लखनऊ।
12. लेखाधिकारी (सी0पी0एफ0), मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0/केस्को, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/कानपुर।
13. लेखाधिकारी (प्रथम/द्वितीय), अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट, शक्ति भवन (वि0), लखनऊ।
14. अधिशासी अभियन्ता वेबसाइट, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

(अविनाश चन्द्र पाण्डेय)
सचिव (ट्रस्ट)

01/03/2021